संख्या-65/सीपी 407/84-2-2013-सीपी 33/97

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
शामली।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 29 अक्टूबर, 2013

विषय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, शामली को क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ के पत्र संख्या-2675/एससीडीआरसी/अधि 155/ 11, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 (अनुलग्नकों सहित छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निबन्धक द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, शामली को, भवन की व्यवस्था हो जाने तक, उक्त जनपद के कैराना में अस्थायी रूप से स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in